

पंचायती राज संस्थाओं की वर्तमान परिदृश्य में भूमिका (राजस्थान के विशेष संदर्भ में)



रविन्द्र कुमार

शोधार्थी,

इतिहास एवं भारतीय संस्कृति विभाग,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर

सारांश

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित अधिकांश योजनाओं का क्रियान्वयन जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है। पंचायती राज संस्थाओं की स्थायी समितियों के कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिये गये हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार –राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचना क्रमांक 5 (6) पीसार्कल्स/लीगल/पी.आर./10/1938 दिनांक 01.01.2011 के द्वारा राजस्थान पंचायती राज (उपबन्धों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपात्तरण) नियम, 2011 लागू कर दिये गये हैं। राज्य की समस्त 9894 ग्राम पंचायतों को आगामी तीन वर्षों में खुले में शौच से मुक्त किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब तक 1128 ग्राम पंचायतें खुले में शौच से मुक्त हो चुकी हैं। मिशन मोड योजना अंतर्गत— इस योजना के अंतर्गत 51.87 करोड़ की राशि आवंटित की गई जिसके विरुद्ध माह दिसम्बर, 2015 तक 59.29 करोड़ की राशि व्यय कर 960 कार्य पूर्ण कराये जा चुके हैं एवं 781 प्रगतिरत हैं। राज्य के तहत 248 पंचायत समिति मुख्यालय एवं 3000 ग्राम पंचायतों के मुख्यालय पर किसान सेवा केंद्र सह विलेज नोलेज सेन्टर के निर्माण कार्य स्वीकृत हैं। जिसमें पंचायत समिति के कार्य की लागत प्रति इकाई 10 लाख तथा ग्राम पंचायत की 9 लाख की राशि स्वीकृत है। योजनान्तर्गत दिसम्बर 2015 तक पंचायत समिति के 248 कार्यों में से 242 कार्य पूर्ण हो चुके एवं 6 कार्य अप्रारम्भ हैं। तथा ग्राम पंचायत के 3000 कार्यों में से 2374 कार्य पूर्ण, 441 कार्य प्रगतिरत एवं 182 कार्य अप्रारम्भ हैं।

मुख्य शब्द: बी.पी.एल (बीलो पूअर लाईन), बी.आर.जी.एफ. (पिछडा जिला विकास कोष)।

प्रस्तावना

देश के चहुँमुखी विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्र का विकास होना नितान्त आवश्यक है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्रता प्राप्ति के तीसरे दशक से ही ग्रामीण क्षेत्र के योजनाबद्ध विकास ने नया मोड़ लिया और अति पिछड़े तथा गरीबी से ग्रस्त परिवारों को सीधे लाभ पहुंचाने की दिशा में प्रयास किये गये, लेकिन राज्य में ग्रामीण विकास को और अधिक प्राथमिकता एवं विशेष महत्व देते हुए वर्ष 1971 में विशिष्ट योजना संगठन की स्थापना की गई। वर्ष 1979 में पुनर्गठन के साथ-साथ इसका कार्य क्षेत्र बढ़ाकर इसे "विशिष्ट योजनाएँ एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग" का नाम दिया गया। 1 अप्रैल 1999 से इस विभाग का नाम "ग्रामीण विकास विभाग" किया गया। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित अधिकांश योजनाओं का क्रियान्वयन जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है। अतः जिला स्तर पर समन्वय हेतु जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का जिला परिषद में विलय करते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अधीन ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ का गठन किया गया। इसी तरह राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की गतिविधियों में समन्वय स्थापित करने एवं कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन के उद्देश्य से ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग का विलय किया गया है। वर्तमान में इस विभाग का नाम "ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग" है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अधीन ग्रामीण विकास की योजनाएं शासन सचिव, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज संस्थाओं के प्रशासनिक नियंत्रण एवं योजनाओं का क्रियान्वयन शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज के माध्यम से किया जा रहा है।

पंचायती राज संस्थाओं की स्थायी समितियों के कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु

पंचायती राज संस्थाओं की स्थायी समितियों के कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

ग्राम सभा के कृत्य

पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-8 क. में ग्राम सभा और उसकी बैठकें आयोजित किये जाने के प्रावधान हैं। राज्य में ग्राम सभाओं का आयोजन राष्ट्रीय पर्वो 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर एवं 1 मई को नहीं किया जाकर इन निर्धारित तिथियों के 15 दिन के अन्दर अन्दर किये जाने का परिपत्र के माध्यम से प्रावधान किया गया है। उक्त ग्राम सभाएं संबंधित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित की जाती हैं।

पंचायती राज अधिनियम की धारा-8 ड. में ग्राम सभा, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए और ऐसी सीमा तक और ऐसी रीति से जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर विहित की जाये निम्नलिखित कार्य करेगी :-

1. सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं का, वार्ड सभा द्वारा अनुमोदित योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को पंचायत द्वारा क्रियान्वयन के लिए हाथ में लिए जाने के पूर्व अनुमोदन करना।
2. गरीबी उन्मूलन और अन्य कार्यक्रमों के अधीन हिताधिकारियों के रूप में व्यक्तियों की, उनकी अधिकारियों के अधीन आने वाली विभिन्न वार्ड सभाओं द्वारा पहचान गये व्यक्तियों में से, पूर्विकता क्रम में पहचान या चयन।
3. संबंधित वार्ड सभा से यह प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करना कि पंचायत के खण्ड (क) में निर्दिष्ट उन योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए उपलब्ध करायी गयी निधियों का सही ढंग से उपयोग कर लिया है जिसका उस वार्ड सभा के क्षेत्र में व्यय किया गया है।
4. कमजोर वर्गों को आवंटित भूखण्डों के संबंध में सामाजिक संपरीक्षा करना।
5. आबादी भूमियों के लिए विकास की योजनाएं बनाना और अनुमोदित करना।
6. सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक श्रम और वस्तु रूप में या नकद अथवा दोनों ही प्रकार के अभिदाय जुटाना।
7. साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण को प्रोत्साहित करना।
8. किसी भी विशिष्ट क्रियाकलाप, स्कीम, आय और व्यय के बारे में पंचायत के सदस्यों और पंचायत के स्पष्टीकरण मांगना।
9. वार्ड सभा द्वारा अभिशंसित संकर्मों में से पूर्विकता क्रम में विकास संकर्मों की पहचान और अनुमोदन।
10. लघु जल निकायों की योजना और प्रबंध।
11. गौण वन उपजों का प्रबंध।
12. सभी सामाजिक सेक्टरों की संस्थाओं और कृत्यकारियों पर नियंत्रण।

13. जनजाति उप-योजनाओं को सम्मिलित करते हुए स्थानीय योजनाओं पर और ऐसी योजनाओं के स्रोतों पर नियंत्रण।

14. ऐसी पंचायत सर्किल के क्षेत्र की वार्ड सभा द्वारा की गयी अभिशंसाओं के बारे में विचार और अनुमोदन और।

15. ऐसी अन्य कृत्य जो विहित किये जायें।

अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार

राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचना क्रमांक 5 (6) पीसारूल्स/लीगल/पी.आर./10/1938 दिनांक 01.01.2011 के द्वारा राजस्थान पंचायती राज (उपबन्धों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपात्तरण) नियम, 2011 लागू कर दिये गये हैं। इन नियमों के लागू होने पर पंचायती राज संस्थाओं को निम्नानुसार शक्तियां व अधिकार प्राप्त हो गये हैं :-

1. ग्राम सभा के परामर्श के पश्चात् ही भूमि अधिग्रहण का कार्य सरकार द्वारा किया जावेगा।
2. उधार पर धन देने पर पंचायत का नियंत्रण रहेगा।
3. अतिचारियों की संक्षिप्त बेदखली की शक्तियां पंचायत समिति द्वारा उपयोग में ली जावेगी।
4. गौण वन उपज पर ग्राम सभा का स्वामित्व रहेगा तथा इससे प्राप्त होने वाली आय पर भी ग्राम सभा की सिफारिश ली जानी अनिवार्य होगी।
5. गौण खनिजों के संबंध में भी ग्राम सभा की सिफारिश ली जानी अनिवार्य होगी।
6. भत्ता नियंत्रण भी ग्राम सभा के पास रहेगा।
7. यदि स्थानीय पुलिस को किसी ग्राम सभा के क्षेत्र में शांति विच्छिन्न करने की किसी संभावना के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है तो सिवाय उन मामलों के जिनमें पुलिस द्वारा तत्काल कारवाई अनिवार्य है, संबंधित पुलिस अधिकारी ग्राम सभा को या शांति समिति को मामले की विस्तृत रिपोर्ट पेश करेगा।

पंचायती राज संस्थाओं के जन प्रतिनिधियों/अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण

पंचायती राज संस्थाओं के जन प्रतिनिधियों/अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके कार्य की कार्य प्रणाली एवं पंचायती राज अधिनियम व नियमों की जानकारी दिये जाने के लिए इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर स्थापित है। इसके साथ ही ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र भी संचालित है।

1. ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र, मण्डोर (जोधपुर), 15 अगस्त, 1960 से।
2. पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र, डूंगरपुर, 03 फरवरी, 1994 से।
3. पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र, अजमेर, 18 मई, 1996 से।
4. माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा की गई बजट घोषणा वर्ष 2012-13 की पालना में कोटा एवं बीकानेर में नवीन पंचायत प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना हेतु भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है। तथा नवीन पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र, भरतपुर हेतु भूमि आवंटन के लिए पशुपालन विभाग, जयपुर एवं शिक्षा विभाग, बीकानेर से उनके विभाग की उपलब्ध भूमि आवंटन कार्य कराये जाने संबंधी प्रयास जारी है। भूमि

आवंटन होने पर शीघ्रातिशीघ्र भवन निर्माण की कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी।

इन प्रशिक्षण केन्द्रों पर मुख्य रूप से ग्राम सेवकों, कनिष्ठ लिपिकों, कनिष्ठ अभियन्ताओं एवं पंचायत प्रसार अधिकारियों का अभिनवकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम (5 दिवसीय) चलाये जाते हैं।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में माह दिसम्बर, 2015 तक आयोजित किये गये प्रशिक्षण शिविरों का विवरण निम्नानुसार है :-

1. जिला प्रमुखगण कार्यशाला दिनांक 27-28 जुलाई, 2015
2. प्रधानगण आमुखीकरण प्रशिक्षण दिनांक 14-15 सितम्बर, 2015
3. जिला स्तरों पर सरपंचगण प्रशिक्षण दो बैच दिनांक 26-28 अक्टूबर, 2015 एवं 4-6 नवंबर, 2015 तक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं।
4. सरकार के निर्देशानुसार इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर में सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ विकास अधिकारी व जिला प्रमुख/प्रधान के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं।
5. इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर पर प्रधान/सरपंच/एन.जी.ओ./मनोनीत सदस्य का आमुखीकरण प्रशिक्षण शिविर एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण भी आयोजित करवाये गये।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र के लिए उद्देश्य की योजना/रूपरेखा निम्नलिखित है :

1. राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं की वर्तमान स्थिति से अवगत कराना
2. वर्तमान में पंचायती राज द्वारा संचालित विकास कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध कराना
3. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की वित्तीय प्रबंध की जानकारी कराना

साहित्यावलोकन

डॉ. सुरेन्द्र कटारिया द्वारा रचित "पंचायती राज संस्थाएं अतीत, वर्तमान और भविष्य" में बताया गया है कि पंचायती राज के ऐतिहासिक विकास क्रम, समसामयिक परिदृश्य तथा भविष्य में पंचायती राज के लिए प्रस्तुत एस. के. मॉडल की परिकल्पना की कई है कि भविष्य में पंचायती राज सरकार के तीनों सशक्त अंगों के रूप में विकसित होगा। यह पुस्तक लेखक के सैद्धान्तिक व व्यावहारिक अनुभवों पर आधारित है।

डॉ. गिरवर सिंह राठौड़ द्वारा रचित "भारत में पंचायती राज" पुस्तक में पंचायती राज व्यवस्था के वर्तमान, अतीत व सम्भावितता का आंकलन गहनता से किया गया है। पंचायती राज के सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण के साथ ही 73वें संविधान-संशोधन के पूर्व व पश्चात् की व्यवस्थाओं का संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। पुस्तक में भारत के विभिन्न राज्यों में

पंचायती राज व्यवस्था के तुलनात्मक अध्ययन का प्रयास भी सम्मिलित है।

श्री अमित पुरोहित द्वारा रचित "पंचायती राज व्यवस्था" पुस्तक में पंचायतों के सदस्यों को उनके अपने सांवैधानिक दायित्व का बोध कराना, गांव के विकास में उनकी अपनी सक्रिय और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से न निभाने को बताया गया है कि पंचायतों के सदस्य किस प्रकार अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण रूप से निभा सकते हैं यह पुस्तक गांवों में रहने वाले लोगों को सुशासन का बोध कराना तथा पंचायती राज संरचना के बारे में बताना है कि ग्रामीण लोग किस प्रकार अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं।

डॉ. आर. पी. जोशी एवं रूपा मंगलानी ने अपनी पुस्तक "पंचायती राज के नवीन आयाम" में पंचायती राज की अतीत, वर्तमान एवं सम्भावित भविष्य की स्थिति का ही नहीं वरन इस व्यवस्था से जुड़े राजनीतिक, आर्थिक सामाजिक व प्रक्रियागत मुद्दों का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। पुस्तक में समाहित लेखों के संकलन का पंचायती राज व्यवस्था के वैचारिक एवं सैद्धान्तिक स्वरूप की विवेचना करना तथा पंचायती राज की यथार्थवादी प्रशासनिक वित्तीय व नियंत्रण सम्बन्ध समस्याओं का विश्लेषण करना है।

आर्थिक समीक्षा 2015-16 की रिपोर्ट के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था के सशक्तिकरण में महिला प्रतिनिधिगण वर्ग के रूप में संगठित होकर विभिन्न स्तरों पर बहुत सारे प्रयासों से स्थिति बदल सकती है जैसे - ग्राम सभा स्तर, ग्राम पंचायत स्तर, ग्राम कचहरी स्तर, पंचायत समिति स्तर व जिला परिषद स्तर।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ग्रामीण विकास रिपोर्ट 2017 के अनुसार पंचायती राज द्वारा ग्रामीण विकास हेतु सामाजिक एवं आर्थिक सहयोग की व्यवस्था इस प्रकार की जानी चाहिए। पुनर्वास के लिए जमीन क्रय हेतु वित्तीय सहायता, भवन निर्माण हेतु सहायता एवं भोजन, आश्रय, वस्त्र आदि के लिए सहायता।

प्रस्तुत शोध पत्र मेरे द्वारा वर्ष 2011 से 2017 तक के द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित पत्रिकाओं, विभागीय रिपोर्टों, शोधपत्रों व शोध ग्रन्थों जैसे योजना, कुरुक्षेत्र, आर्थिक समीक्षा, बजट, गजट इत्यादि पर आधारित है।

शोधकार्य प्रणाली

शोधकार्य प्रणाली का कुछ भाग वर्णानात्मक रूप में, अशंत: भाग खोजपरक तथा कुछ भाग अनियमित/अस्थायी अपनाया गया है। इस शोध पत्र के लिए आँकड़े और सूचनाओं का संग्रह विभिन्न माध्यमों की सहायता से किया गया है जिनमें प्रमुख रूप से राजस्थान विश्वविद्यालय के केन्द्रीय पुस्तकालय में उपलब्ध पंचायती राज संस्थाओं पर विभिन्न लेखकों की पुस्तकें, पहले के शोधार्थियों के शोध ग्रन्थ, समाचार पत्र, मासिक/वार्षिक पत्रिकाएँ, जर्नलस, ई. जर्नलस, राजस्थान पंचायती राज पर राजस्थान सरकार द्वारा जारी प्रकाशन आदि।

विश्लेषण एवं तथ्य प्रक्षेप

तालिका 6.1 राजस्थान में पंचायती राज संस्थाएं एक दृष्टि में

1.	कुल जिला परिषदें	33
2.	कुल पंचायत समितियां	295
3.	कुल ग्राम पंचायतें	9,894
4.	औसत ग्राम पंचायतें प्रति पंचायत समिति	34
5.	औसत पंचायत समितियां प्रति जिला परिषद्	9
6.	निर्वाचित पंचायती राज प्रतिनिधि	
7.	जिला प्रमुख	33
8.	प्रधान	295
9.	जिला परिषद् सदस्य	1014
10.	पंचायत समिति सदस्य	6236
11.	सरपंच	9894
12.	वार्ड पंच	107707

स्रोत : ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राज0 वार्षिक प्रतिवेदन 2015-16

वित्तीय प्रबंध

पंचायती राज विभाग के द्वारा मुख्यतया पंचायती राज संस्थाओं के प्रशासनिक नियंत्रण तथा संस्थापन व्यय के प्रबंधन का कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय तेरहवें वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग की अभिशंषा के अनुसार अनुदान राशि का हस्तांतरण ग्रामीण विकास के कार्यों के लिए पंचायती राज संस्थाओं में किया जाता है।

01.04.2015 से 31.12.2015 तक पंचायती राज के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को दी गई राशियों का विवरण अग्रानुसार है :-

तालिका 6.2 वित्तीय प्रबंध

(राशि करोड़ रूपयों में)

क्र. सं.	मद	01.04.2015 से 31.12.2015 तक			
		आयोजना भिन्न	आयोजना	के.प्र.यो.	योग
1.	2515-पंचायती राज के कार्मिकों के वेतन भत्तों हेतु (जिला परिषद्/पंचायत समिति)	549.84	-	-	549.84
2.	2515-राज्य वित्त आयोग के तहत अनुदान	-	1167.14	-	1167.14
3.	2515-तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर अनुदान	1.62	-	-	1.62
4.	14वां वित्त आयोग	1471.95	-	-	1471.95
4.	2515-पिछड़ा जिला विकास कोष	-	-	-	-
5.	2515-चुंगी के बदले अनुदान	2.59	-	-	2.59
6.	2515-प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए	1.55	-	-	1.55
7.	2515-जिला आयोजना कार्यालयों का स्थापन व्यय	7.13	0.76	-	7.89
8.	2515-मुख्यालय के संस्थापन हेतु	8.60	0.21	-	8.81
9.	2515-जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण	-	-	-	-
10.	2515-निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना	-	-	-	-
11.	2515-निर्बन्ध राशि योजना	-	-	-	-
12.	2515-राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना	-	-	-	-
13.	2515-पेयजल सप्लाई/हैण्ड पम्प संधारण एवं जनता दल योजना के कार्मिकों के वेतन भत्तों/मानदेय	-	-	-	-
14.	4515- अन्य	-	0.16	-	0.16
15.	2515-पंचायती राज संस्थाओं हेतु निर्बन्ध कोष	-	388.77	-	388.77
16.	2515- सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान	-	751.76	-	751.76
17.	3604- पंचायती राज संस्थाओं के क्षतिपूर्ति तथा समुदेशन	-	-	-	-
18.	2515- मुख्य मंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास	-	369.81	-	369.81
19.	2515- जिला नवाचार कोष	-	-	-	-
	कुल योग	2043.28	2678.61	-	4721.89

स्रोत : ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राज0 वार्षिक प्रतिवेदन 2015-16

तालिका 6.3 राज्य में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण की 31 दिसम्बर, 2015 तक की स्थिति

(संख्या-लाखों में)

राज्य में बैसलाईन सर्वे 2012 के अनुसार कुल परिवार	सर्वे के अनुसार शौचालय विहीन परिवार	अब तक निर्मित व्यक्तिगत शौचालय				शौचालय विहीन शेष परिवार
		2013-14	2014-15	2015-16	कुल	
115.00	83.69	2.62	6.56	15.60	24.78	58.91

स्रोत : ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राज0 वार्षिक प्रतिवेदन 2015-16

1. वर्ष 2015-16 में बजट प्रावधान

बजटीय प्रावधान	प्राप्त राशि	व्यय राशि
2119 करोड़	751 करोड़	1207 करोड़

स्रोत: ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राज0 वार्षिक प्रतिवेदन 2015-16

- राज्य की समस्त 9894 ग्राम पंचायतों को आगामी तीन वर्षों में खुले में शौच से मुक्त किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब तक 1128 ग्राम पंचायतें खुले में शौच से मुक्त हो चुकी हैं।
- स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कुल व्यय का 2 प्रतिशत प्रशासनिक एवं 4 प्रतिशत व्यय आई.ई.सी. गतिविधियों पर किया जा सकता है, जिसमें केन्द्र व राज्य का अनुपात 60:40 निर्धारित है।

जिला परिषदों/पंचायत समितियों के भवनों का विस्तार/मरम्मत

जिला परिषदों/पंचायत समितियों की आवश्यकतानुसार भवनों का विस्तार/परिवर्धन/मरम्मत के लिए 50 प्रतिशत राशि निजी आय से उपलब्ध करायी जाती है। इसे हेतु वार्षिक योजना 2015-16 के लिए 235 लाख का प्रावधान रखा गया है।

यूरोपियन यूनियन राज्य सहभागिता कार्यक्रम

यूरोपियन यूनियन राज्य सहभागिता कार्यक्रम जिसका मुख्य उद्देश्य जल क्षेत्र नीति कार्ययोजना और जन शिक्षा के साथ एकीकृत जल प्रबंधन है जिसका क्रियान्वयन 11 जिलों जोधपुर, जैसलमेर, बाडमेर, राजसमन्द, जालौर, पाली, चूरू, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, और नागौर में किया जा रहा है। वर्ष 2013-14 व 2014-15 में ग्राम पंचायतों के लिए राशि 39.66 करोड़ आवंटित की गई जिसके विरुद्ध दिसम्बर, 2015 तक 37.76 करोड़ व्यय कर 2846 कार्य पूर्ण करवाये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2015-16 में दिनांक 09.10.2015 को 577 ग्राम पंचायतों के लिए 11.54 करोड़ की राशि आवंटित की गयी है।

आंगनबाड़ी केन्द्र भवन योजना

(अ) नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित योजना

उक्त योजना में राज्य के 27 जिलों में आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण किया जा रहा है जिसमें वित्तीय वर्ष 2009-10 में 369, वित्तीय वर्ष 2011-12 में 659 आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्वीकृति जारी की गई है।

योजनान्तर्गत 35.85 करोड़ की राशि आवंटित की गयी, जिसके विरुद्ध 23.15 करोड़ का व्यय किया गया एवं 10.78 करोड़ राशि वापिस लौटाई गयी, कुल 1028 कार्यों में से 592 कार्य पूर्ण, 45 प्रगतिरत, 15

अप्रारम्भ, 131 कार्य निरस्त एवं 245 कार्य जिला परिषदों द्वारा स्वीकृत नहीं किये गये।

(ख) मिशन मोड योजना अंतर्गत

इस योजना के अंतर्गत 51.87 करोड़ की राशि आवंटित की गई जिसके विरुद्ध माह दिसम्बर, 2015 तक 59.29 करोड़ की राशि व्यय कर 960 कार्य पूर्ण कराये जा चुके हैं एवं 781 प्रगतिरत है।

किसान सेवा केन्द्र

राज्य के तहत 248 पंचायत समिति मुख्यालय एवं 3000 ग्राम पंचायतों के मुख्यालय पर किसान सेवा केन्द्र सह विलेज नोलेज सेन्टर के निर्माण कार्य स्वीकृत है। जिसमें पंचायत समिति के कार्य की लागत प्रति इकाई 10 लाख तथा ग्राम पंचायत की 9 लाख की राशि स्वीकृत है। योजनान्तर्गत दिसम्बर 2015 तक पंचायत समिति के 248 कार्यों में से 242 कार्य पूर्ण हो चुके एवं 6 कार्य अप्रारम्भ हैं। तथा ग्राम पंचायत के 3000 कार्यों में से 2374 कार्य पूर्ण, 441 कार्य प्रगतिरत एवं 182 कार्य अप्रारम्भ हैं।

आरआईडीएफ 19 व 20 में 1986 ग्राम पंचायत में किसान सेवा केन्द्र निर्माण की स्वीकृति कृषि विभाग द्वारा जारी की गई है, जिसमें से 82 कार्य पूर्ण, 278 कार्य प्रगतिरत एवं 1626 कार्य अप्रारम्भ हैं।

निकर्ष

सिद्धांत में पंचायती राज संस्थाएँ हालाँकि बेहद अच्छी पहल है, लेकिन इनकी वास्तविकता उतनी अच्छी नहीं रही। खराब प्रतिनिधित्व, अपने क्षेत्र के निवासियों द्वारा सहभागी तरीके से लिए गए फैसलों को लागू करने में असफलता और धनराशियों में हेराफेरी के कारण बहुत सी पंचायती राज संस्थाओं की आलोचना की गई है। इस संदर्भ में सूचना का अधिकार यह सुनिश्चित करने के लिए एक उपकरण प्रदान करता है कि पंचायती राज संस्थाएं भागीदारी को बढ़ाने और जवाबदेह सरकार को स्थापित करने के अपने लक्ष्यों को ज्यादा प्रभावी तरीके से हासिल करें। पंचायती राज संस्थाओं में नागरिकों की भागीदारी तब अधिक सार्थक होगी जब लोगों के पास पूरी जानकारी के आधार पर निर्णय लेने के लिए सूचनाएं होगी और वे, निर्णय प्रक्रियाओं में अफवाहों या आधे सच के आधार पर नहीं, बल्कि वास्तविक तथ्यों के आधार पर भाग लेंगे।

व्यवहार में सूचना का अधिकार लोगों को आवेदन करने पर पंचायती राज संस्थाओं के पास मौजूद सूचनाओं तक पहुँच बनाने का एक साधन ही नहीं प्रदान करता, बल्कि स्वयं पंचायतों का भी कर्तव्य है कि वे महत्वपूर्ण सूचनाओं को अपनी पहल पर सार्वजनिक करें। उदाहरण के लिए, ग्राम सभा की बैठकों में सूचनाओं का

आदान-प्रदान करने, सूचना पटल पर सूचनाओं को प्रदर्शित करने, गाँव में लाउड स्पीकर के जरिए या सरकारी गजट या स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन के द्वारा। जनता के द्वारा सूचना के अधिकार से संबंधित सामान्य कानूनों के उपयोग के बारे में बहुत सारा लेखन पहले से ही हो चुका है। इसलिए ये पेपर खास तौर पर राज्य पंचायती राज अधिनियम और संबंधित नियमों में शामिल सूचना को सार्वजनिक करने के प्रावधानों का विश्लेषण करने और उन्हें आगे बढ़ाने पर अपना ध्यान केन्द्रित करता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. माथुर, एम.वी., इकबाल नारायण, वी.एम. सिन्हा एण्ड एसोसियेट्स, पंचायती राज इन राजस्थान : ए केस स्टडी इन जयपुर डिस्ट्रिक्ट, इम्पेक्स इण्डिया, न्यु देहली, 1966
2. रिपोर्ट ऑफ द स्टडी टीम ऑन पंचायती राज (चेयरमेन: सादिक अली), राजस्थान, 1963
3. पॉल, सोहिनी- सूचना का अधिकार और पंचायती राज संस्थाएँ : एक केस स्टडी के रूप में मध्य प्रदेश 2006
4. मिश्र, निरंजन - भारत में पंचायती राज, लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण, विकेन्द्रित योजना एवं जनाकांक्षी लोक प्रशासन पर एक सम्पूर्ण ग्रंथ, 2006
5. 73 वॉ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992
6. पंचायती राज अधिनियम, 1994
7. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
8. राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम 1959
9. www.panchayatiraj.gov.nic.in